न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–762/2024

राज्य बनाम सर्वेश कुमार आदि।

धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं०।
मुकदमा अपराध संख्या–242/2023
थाना–इकदिल, जिला–इटावा।

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्तगण **सर्वेश कुमार, अवेधश कुमार, अंकेश एवं विमलेश उर्फ भुवनेश** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ–

प्रथमः– यह कि दिनांक–08.10.2023 को समय लगभग 08.00 बजे सुबह, बस्थान बहद ग्राम अमीनाबाद इकदिल, अन्तर्गत थाना इकदिल जनपद इटावा में आप लोगों ने अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वादी मुकदमा की बहन रूबी को स्वेच्छ्यापूर्वक मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की। इसके द्वारा आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–323 सपठित धारा–34** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु एक राय होकर, वादी मुकदमा की बहन रूबी को लोक शांति भंग कराने व प्रकोपित करने के आशय से भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–504** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु एक राय होकर वादी मुकदमा की बहन के साथ मारपीट की, जिससे मजरूबा रूबी के सिर में क्रेक फ्रेक्चर हो गया। आप लोगों ने मजरूबा की मारपीट, ऐसे आशय से या ज्ञान से तथा इन परिस्थितियों में की, कि यदि उक्त कृत्य से आप लोग उसकी मृत्यु कर देते, तो आप लोग हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते और इसके द्वारा आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो कि भा०दं०संहिता की **धारा–308 सपठित धारा–34** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–10.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–10.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–762/2024

राज्य बनाम सर्वेश कुमार आदि।

धारा–323, 504, 308, 324 भा०दं०सं०।
मुकदमा अपराध संख्या–242/2023
थाना–इकदिल, जिला–इटावा।

–आदेश–

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना। उन्होंने बल दिया कि सम्पूर्ण केस डायरी में उस हथियार का जिक्र नहीं है, जिससे कथित रूप से घटना कारित की गयी है, उन्होंने धारा 324/308 भा०दं०सं० का आरोप लगाये जाने के लिए साक्ष्य न होने के आधार पर उक्त धाराओं में उन्मोचन की याचना की।

मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप विरचित करने के लिए खतरनाक आयुध या साधन होना आवश्यक है, केस डायरी के परिशीलन से घटना में प्रयुक्त हथियार या उसकी प्रकृति का पता नहीं चलता है, इस कारण से धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप विरचित करने का आधार पर्याप्त नहीं है। जबकि धारा 308 भा०दं०सं० के आरोप के लिए चोट आना आवश्यक नहीं है, केवल ऐसी परिस्थितियां होना चाहिए, जिनसे आपराधिक मानव वध होने की संभावना को बल मिलता हो, केस डायरी के परिशीलन से चिकित्सीय साक्ष्य से धारा 308 भा०दं०सं० का आरोप लगाये जाने का उचित एवं पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण को धारा 324 भा०दं०सं० के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण **सर्वेश कुमार, अवेधश कुमार, अंकेश एवं विमलेश उर्फ भुवनेश** ने धारा–323/34, 504, 308/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाये।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–10.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांक–10.10.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।